

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 78/2023

लक्ष्मीनारायण बनाम कमला अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. भैरू जाति बैरवा
2. सीताराम पुत्र स्व. भैरू जाति बैरवा
3. राधेश्याम पुत्र स्व. भैरू जाति बैरवा
4. मांगी पत्नि स्व. भैरू जाति बैरवा
5. सीता पुत्री स्व. भैरू जाति बैरवा

सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला पत्नि स्व. भैरू जाति जाट
2. चन्दणी पत्नि कल्याण जाति जाट
3. छीतर पुत्र कल्याण जाति जाट
4. जीतराम पुत्र कल्याण जाति जाट
5. प्रधान पुत्र भैरू जाति जाट
6. प्रहलाद पुत्र पोलू जाति जाट
7. पांचू पुत्र पेमा जाति जाट
8. मोहनलाल पुत्र भैरू जाति जाट
9. रामजीलाल पुत्र पोलू जाति जाट
10. विजयलाल पुत्र रायचन्द जाति जाट
11. सुप्यार पत्नि पोलू जाति जाट

सर्व निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956



1. साक्षिण्य वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री रामनिवास बैरवा ने पेश किया जिसमें



उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उक्त ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काशत की खातेदारी की भूमि ग्राम स्थित है जिसके वादग्रस्त खसरा संख्या 596 रकबा 1.0355 हैक्टेयर है जो कि में प्रार्थीगणों के पिता/पति के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि पर आजीवन प्रार्थीगण पिता/पिता का ही कब्जा काशत रहा है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर प्राथीगण काबिज काशत है। उक्त भूमि खसरा संख्या 596 की राजस्व नक्शा ट्रेस सम्मत 2027 में तरमीम हो रखी है लेकिन वर्तमान सेग्रीकेशन के नक्शे में उक्त खसरा संख्या 596 को कुयें का अंकन कर दिया गया है तथा नक्शों में 596 को खसरा संख्या 598 में विलय कर दिया गया है। प्रार्थीगण अपने पूर्व में सम्मत 2027 के नक्शे के अनुसार ही वर्तमान में काबिज काशत हैं तथा उसी के अनुरूप तरमीम शुद्धि करवाना चाहते हैं। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि ग्राम सिरोंज के वर्तमान खसरा संख्या 596 रकबा 1.0355 हैक्टेयर की सम्मत 2027 के नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्धि करने के आदेश तहसीलदार अरांई को प्रदान करें।

2. प्रकरण को दिनांक 05.10.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 78/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी संख्या 01,02,05,06,07,08,10,11 ने सहमति का जवाब पेश कर न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 03, 04, 09 बावजूद तलबी के अनुपस्थित रहे इसलिये उनका जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 12.01.2024 को तहसीलदार अरांई का जवाब पेश हुआ जिसमें तहसीलदार अरांई द्वारा उल्लेख किया गया कि मोमिया शीट सम्मत 2027 में खसरा संख्या 596 व 598 अलग अलग दर्ज है जबकि दौराने सेग्रीकेशन नक्शों में कुयें नम्बर 596 दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व में कुयें का नम्बर दर्ज नहीं है, तथा उसी के अनुक्रम में खसरा संख्या 596 को 598 के विलय कर दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है अतः न्यायालय से निवेदन है कि मोमिया शीट सम्मत 2027 के अनुसार सेग्रीकेशन में शुद्धि किया जाना उचित है।

3. दिनांक 12.04.2024 को वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे किन्तु प्रार्थी लक्ष्मीनारायण उपस्थित होकर स्वयं पैरवी कर बहस करने का निवेदन किया, न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी लक्ष्मीनारायण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

4. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नक्शा सम्मत 2027 एवं नक्शा सम्मत 2027-28 में दृष्टवय त्रुटि हुई है, दौराने सेग्रीकेशन नक्शों में कुयें नम्बर 596 दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व में कुयें का नम्बर दर्ज नहीं है, तथा उसी के अनुक्रम में खसरा संख्या 596 को 598 के विलय कर दिया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार




उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जाते हैं कि वादअधीन भूमि ग्राम तहसील अरांई के खसरा संख्या 596 का कुर्ये से अंकन विलोपित कर वर्तमान नक्शे खसरा संख्या 596 व 598 में सम्वत 2027 मोमिया शीट के अनुसार तरमीम दुरुस्त करें। तरमीम दुरुस्ती के पश्चात् खसरा संख्या 596 का अंकन पूर्वरिकार्डानुसार करें। तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट तथा संलग्न नक्शा सम्वत 2027 अन्तिम आदेश का भाग रहेगा तथा उसी के अनुसार नक्शे में दुरुस्ती की जायेगी। नक्शे में दुरुस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरुस्ती करने पर जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया



गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।


उपखाक अधिकारी
अरांई (अजमेर)